बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना

बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

प्रत्येक विद्यालय–प्रत्येक कार्य दिवस–प्रत्येक उपस्थित बच्चों को मध्याह्न भोजन

<u>विज्ञप्ति सं॰–1/2014–15</u>

जिले के एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को पुरस्कृत करने की योजना।

1. मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में विद्यालय शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2. विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा इसके संचालन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में उत्कृष्ट भूमिका निभाई जा रही है।
3. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति की प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले के एक सर्वोत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा समिति को जिला/राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना है।
4. पुरस्कार की राशि के रूप में नामित विद्यालय शिक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को 5000.00 (पॉच हजार रू॰) की नगद राशि एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
5. नामित किये गये विद्यालय शिक्षा समिति की जॉच एवं समीक्षा जिला स्तर पर निर्धारित समिति के द्वारा की जायेगी।
6. निर्धारित समिति मूल्यांकन के समय संबंधित विद्यालय के पोषित बच्चों के Feed back का भी ध्यान रखेगी।
7. विद्यालय शिक्षा समिति का नामांकन स्वयं विद्यालयों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, पदधारक अथवा अभिकरण के द्वारा एवं जिला स्तरीय समिति या किसी भी स्तर से किया जा सकता है।
8. विद्यालय शिक्षा समिति का नामांकन किया जा सकता है :–
   - स्वयं विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा।
   - किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
   - किसी भी पदधारक के द्वारा।
   - किसी तरह के अभिकरण के द्वारा।
   - जिला स्तरीय समिति के द्वारा।
   - अन्य किसी भी स्तर से।
9. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2015 होगी।
10. नामांकन जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय में किया जायेगा। यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को संबोधित होगा।
11. जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति निम्नांकित रूप से गठित रहेगी :–

- जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष
- जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म॰भो॰यो॰ – संयोजक
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस॰एस॰ए॰ – सदस्य
- जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी – सदस्य

12. विद्यालय शिक्षा समिति के कार्यकलाप एवं प्रदर्शन के आकलन में निम्नांकित बिन्दु प्रमुखता से विचारित किये जायेगे।

- विद्यालय शिक्षा समिति की सक्रिय नियमित बैठकें एवं बैठकों में लिए गये निर्णयों को लागू करना – **अधिकतम 10 अंक**
- विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों में गुणवत्ता के सुधार का निर्णय – **अधिकतम 10 अंक**
- नामांकन के अनुसार भौतिक उपस्थिति – **अधिकतम 10 अंक**
- पोषाहार पंजी एवं लेखा का संधारण – **अधिकतम 10 अंक**
- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं साफ–सफाई – **अधिकतम 10 अंक**
- मध्याह्न भोजन योजना संचालन के दौरान किसी दुर्घटना का न होना – **अधिकतम 10 अंक**
- कार्य दिवस के विरूद्ध मध्याह्न भोजन संचालित दिवसों की संख्या – **अधिकतम 10 अंक**
- मेनू का पालन नियमित रूप से किया जाना – **अधिकतम 10 अंक**
- रसोइघर एवं आसपास की नियमित रूप से साफ–सफाई – **अधिकतम 10 अंक**
- किचेन गार्डेन की उपलब्धता एवं उपयोग – **अधिकतम 10 अंक**

कुल 100 अंको के मापदंड पर निर्णय लिया जायेगा।

नोट : किसी भी विद्यालय में बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं या खाने में छिपकली पाई जाती है तो समिति ऐसे विद्यालय शिक्षा समितियों के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी।

मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा सूचना निदेशालय स्थित टाल फ्री नं॰ 1800-345-6208 के माध्यम से दी जा सकती है।

(संजीवन सिन्हा)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार,पटना।